DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--------THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI FRIDAY, JULY 1, 2022------DATED----------

'Removal of squatters main concern of 70% of MLAs'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: While MCD's anti-encroachment drive last month received a lot of flak from the AAP government and its MLAs, sources in the LG office claim that removal of squatters at public places was one of the main concerns of 70% of 51 MLAs who met lieutenant governor VK Saxena in separate meetings earlier this month.

Sources claimed that all MLAs asked for the LG's intervention and "promised full cooperation" in the encroachment removal drive.

The erstwhile east, south and north corporations carried out several anti-encroachment drives in various parts of the city in April and May, which was termed as "bulldozer drive" by the AAP government. The Kejriwal-led government had on May 17 even sought reports from the three corporations of drives carried out since April 1.

There was no immediate reaction available from AAP.

Raj Niwas sources, however, claimed that "freewheeling discussions" with 51 MLAs in small groups, spread over 20 days since Saxena took over on May 26, established that encroachments and unauthorised occupation were a concern for them. The sources added that 46 MLAs had even given written submissions on the issue.

"Be it of vacant government land, roads, lanes, parks and even drains, the encroachment menace was flagged as the main challenge by 32 of 46 legislators. They repeatedly sought the LG's intervention to solve this problem," said a Raj Niwas source.

It was claimed by sources that 32 MLAs complained about "land mafia" encroaching on DDA land, illegal construction by "unscrupulous persons" and shops coming up on streets. "Animal barns" being run to encroach on land, unauthorised construction in heritage properties, footpaths and pedestrian pathways being used as parking slots by "used car dealers" and "scrap dealers" causing widespread inconvenience were also highlighted by the MLAs.

A RAJ NIWAS SOURCE SAYS

Be it of vacant government land, roads, lanes, parks and even drains, the encroachment menace was flagged as the main challenge by 32 of 46 legislators. They repeatedly sought the LG's intervention to solve this problem

"Many legislators complained about illegal plotting of agricultural land for residential purposes and parks being encroached on by illegal Bangladeshi nationals. Illegal parking in school complexes and encroachment of parks for jhuggis were also flagged by them," said a source.

Saxena sought "full cooperation" from the legislators in the encroachment removal drive, which would include a campaign to provide at least two metres of footpath, free from any permanent or temporary illegal structure, to Delhiites. "The LG hoped that there would be no politics over the issue and the MLAs, irrespective of their party affiliation, would cooperate when concrete steps were taken to remove the encroachments," another source said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

दैनिक भास्कर नई दिल्ली, शुक्रवार 01 जुलाई, 2022 | 02

विधायकों ने एलजी से अपने क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध कब्जा हटाने का मांग की

आप के 32 विधायक की मांग पर दौड़ेगा बुलडोजर, एलजी का आदेश

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के 46 विधानसभा क्षेत्रों में एमसीडी और डीडीए का बुलडोजर एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर फिर से दौड़ सकती है। भाजपा शासित एमसीडी व डीडीए के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए चलाई जा रही बुलडोजर अभियान का विरोध कर रही आप पार्टी के मुहिम को उनके ही पार्टी के विधायक ही 'पलीता' लगा रहे हैं। बता दें कि उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा एमसीडी व डीडीए को दिल्ली में व्यापक स्तर पर सड़कों, सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कार्यालय में तैनात एक अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि 20 दिनों में आप के 51 विधायक उपराज्यपाल से मिले हैं। अधिकारी के अनुसार उन 46 विधायकों में से 32 (69.5.6) फीसदी विधायकों ने जिन्होंने मौखिक व लिखित रूप में उपराज्यपाल को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए मांग किया है। अधिकारी ने बताया कि विधायकों ने उपराज्यपाल को पत्र में दी जानकारी दिया है कि उनके विधानसभा में अतिक्रमणकारियों ने खाली सरकारी भूमि पर भू माफियाओं, सड़कें, गलियों, पार्क और यहां तक कि नालियां भी कब्जा कर लिया है। जिसके कारण क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यालय में 20 दिनों में 32 विधायकों ने दिया लिखित आवेदन

अधिकारी ने बताया कि आप विधायकों ने एलजी को हस्तक्षेप कर अपने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। विधायकों ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के अभियान में पूर्ण सहयोग का वादा करने की बात कही है। लगभग 20 दिनों में एलजी ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से 46 विधायकों ने उनसे मिलकर अपने क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर अनधिकृत व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की शिकायत की है। जिसमें से 32 विधायकों 69.5.6% अतिक्रमण के विरूद्ध लिखित रूप में शिकायत किया है।

आवासीय क्षेत्र में भी अतिक्रमण की शिकायत

अधिकारी ने बताया कि इसी तरह, कई लोगों ने उपराज्यपाल से आवासीय उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के अवैध प्लॉटिंग की शिकायत की और बेरीवाला पार्क में अवैध 'बांग्लादेशी नागरिकों' द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने लंबे समय से चल रहे और ज्वलंत मुद्दों को अपने संज्ञान में लाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें जल्द से जल्द त्वरित और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

इन क्षेत्रों में विधायकों ने अतिक्रमण हटाने का मांग की

मंगोलपुरी, बुरारी, नरेला, बवाना, सुल्तानपुर माजरा, पालम, बिजवासन, संगम विहार या पूर्ववर्ती बाहरी दिल्ली में महरौली, मुस्तफाबाद, कोंडली, त्रिलोकपुरी, गोकलपुरी, सीलमपुर, विश्वास नगर या पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर, तिलक नगर, पश्चिमी दिल्ली में हरि नगर, जनकपुरी, रिठाला या करोल बाग, ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, चांदनी चौक और मालवीय नगर।

पंजाब केसरी

निजामुद्दीन स्थित झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ने पर रोक

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) :दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर बसी हजरत निजामुद्दीन के ग्यासपुर इलाके की लगभग 32 झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़ने पर फिलहाल 11 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वहां वर्ष 1995 से झुग्गी हैं और 10 दिन के लिए और उसे रहने दिया जाता है तो आसमान टूट नहीं पड़ेगा। इस दशा में वहां यथास्थिति बरकरार रखी जाए। जस्टिस ने कहा कि झुग्गियों को 10 दिन बाद तोड़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर अभी उन झुग्गियों को तोड़ दिया जाए और बाद में पता चले कि वे उसके अधिकारी है तो उस दशा में उनके लिए कौन जिम्मेदारी होगा।